(3) यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त उपधारा (1) का उलंघन करता है, वह आर्थिक दण्ड का उत्तरदायी होगा एवं आर्थिक दण्ड रू. 500 तक हो सकता है।

इन्श्योरेन्स एक्ट, 1938 की धारा 45 का संक्षिप्त विवरण –

कोई भी जीवन बीमा पॉलिसी उसकी आरम्भ की तिथि से दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद बीमाकर्ता द्वारा उस समय तक इस आधार पर निरस्त नहीं की जायेगी कि बीमा के लिये दिये प्रस्ताव - पत्र में दिया गया विवरण या किसी डाक्टरी जाँच की रिपोर्ट में या पॉलिसीधारक के मित्र द्वारा पॉलिसी जारी करने हेतु दिये किसी प्रलेख में कुछ भी गलत या झूठ कहा गया है, जब तक बीमाकर्ता यह न सिद्ध कर दे कि विवरण एक महत्वपूर्ण मामले से सम्बन्धित था या उसने तथ्यों को छुपाया जिसे बताना आवश्यक था और उस समय बीमाधारक को यह पता था कि दिया गया विवरण झूठा या उसने तथ्यों को छुपाया जिन्हें बताना आवश्यक था।

सम्पर्क पते एवं दूरभाष संख्या –

हमारा नि:शुल्क टाल नं.– 1800 – 180 – 9000 (भा.सं.नि.लि. / म.टे.नि.लि.)

लोकल कार्पोरेट कार्यालय के नाम तथा उनके दूरभाष संख्या निम्नलिखित हैं–

आगरा - 9411876485, अहमदाबाद - 9998020301, अजमेर - 9829018573, इलाहाबाद - 9839750651, बहराइच - 9415054425, बलिया - 9936571895, बैंगलूरु - 9845234738, बस्ती - 8004915905, बरेली - 9336857557, बडौदा - 9998020310, बोकारो - 9386896841, भोपाल - 9302115594, भागलपुर - 9386741020 भुवनेश्वर - 9861048534, चंडीगढ - 9216870573, चेन्नई - 9940098809, देहरादून - 9368228050, दिल्ली - 9811571988, दरभंगा - 9386835733, देवरिया - 9415213748, फैज़ाबाद - 9935169130, फरीदाबाद - 9899805972, गोरखपुर - 9336410556, गुवाहाटी - 9435549347, हज़ारीबाग - 9431102765, हावड़ा - 9903116913, हैदराबाद - 9885279596, इंदौर - 9302780283, जबलपुर - 9303327343, जयपुर - 9414079454, जमशेदपुर - 9431133892, जोधपुर - 9829687827, कानपुर - 9415075151, खलीलाबाद - 9984499333, कोलकाता - 9007087253, कोटा - 9460981763, लखनऊ - 9335226465, लुधियाना - 9988373652, मुम्बई - 9324702769, मुज़फ्फरपुर - 9431238376, नालन्दा - 9431023510, पटना - 9334112902, रायपुर - 9893650799, राँची - 9955328893, सिलीगुड़ी - 9233472893, सिवान - 9334417334, समस्तीपुर - 9430586304, सुल्तानपुर - 9839666777, उदयपुर - 9828142452, वाराणसी - 9838128327, विशाखापट्टनम - 9848565786 ।

बीमा आग्रह की विषय – वस्तु है

URN: Saharalife/2012-13/06

सहारा इंडिया लाईफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
कार्पोरेट कार्यालय : सहारा इंडिया सेंटर, 2, कपूरथला कॉम्पलेक्स, लखनऊ - 226024, फोन : 0522-2337777, फैक्स : 0522-2332683
वेबसाईट : www.saharalife.com

SAHARA INDIA PARIWAR

IRDA Registration No. : 127

सहारा निवेश जीवन बीमा

एकल प्रीमियम बन्दोबस्ती बीमा लाभ रहित

(UIN-127N026V01)

सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

IRDA Registration No. 127

सहारा निवेश जीवन बीमा

एकल प्रीमियम - बन्दोबस्ती बीमा

लाभ रहित

(UIN-127N026V01)

सहारा परिवार –

सहारा इंडिया परिवार की सफलता का इतिहास 1978 से प्रारम्भ हुआ। साधारण पूंजी से शुरूआत करके कंपनी ने आज भारत में विशाल साम्राज्य फैला रखा है। आज परिवार एक बहु आयामी व्यवसायिक संस्था बन कर वित्तीय सेवाऐं इन्फ्रास्ट्रक्चर व हाउसिंग, मीडिया व एंटरटेनमेंट, सूचना प्राघौगिकी, अस्पताल, कन्जूमर प्रोडक्ट्स, निर्माण एवं सर्विसेज व ट्रेडिंग आदि में कार्यरत हैं।

कंपनी –

सहारा इण्डिया परिवार जीवन बीमा क्षेत्र में 30 अक्टूबर, 2004 से कार्यरत है तथा "सहारा इण्डिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड निजी क्षेत्र में प्रथम पूर्णतः भारतीय जीवन बीमा कंपनी है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में समाज के सभी वर्ग विशेषतः ग्रामीण शोषित एवं आर्थिक रूप से कमजोर, जिन्हें जीवन बीमा द्वारा सुरक्षा की नितांत आवश्यकता है, उनको बीमा द्वारा सुरक्षा प्रदान करना है।

योजना –

एक बार प्रीमियम भुगतान करने पर परिपक्वता तक जोखिम वहन लाभ के साथ "सहारा निवेश जीवन बीमा" एक लाभ रहित एकल प्रीमियम बंदोबस्ती योजना है। यह उन व्यक्तियों के हित में है, जो अपने स्वप्न तथा महत्वकाक्षाओं को एक निश्चत समय पर जैसे गृह को क्रय करना चाहते है तथा अपनी सन्तानों को उच्च शिक्षा प्रदान करना चाहते है। यह अपेक्षाऐ तभी पूर्ण हो सकती है, जब हम अपनी वित्तीय योजनाओं को सुचारू रूप से समय से पहले बना लें। इसके लिये हमें सम्पत्ति बनाने वाली योजनाओं में निवेश करने के लिये ऐसी वित्तीय योजनाओं में पहल करनी चाहिये। "सहारा लाइफ की यह योजना" ग्राहकों के लिये, जो तरलता, निवेश तथा जीवन सुरक्षा चाहते है, उत्तम निवेश के इच्छुक यह आदर्श पॉलिसी उनकी आवश्यकता अनुरूप पॉलिसी अवधि में जीवन सुरक्षा प्रदान करती है तथा पूर्ण पॉलिसी अवधि में प्रीमियम भुगतान के बार-बार की चिंता से मुक्त करती है। अतः आज ही निवेश कर परिपक्वता पर लाभ पाइये।

योजना विवरण –

प्रवेश के समय न्यूनतम आयु	9 वर्ष (निकटतम जन्म तिथि) जोखिम तत्काल प्रारम्भ हो जाता है।
प्रवेश के समय अधिकतम आयु	60 वर्ष (निकटतम जन्म तिथि)
न्यूनतम बीमाधन	रू. 50,000
अधिकतम बीमाधन	असीमित - बीमाकंन नुसार
अवधि	10 वर्ष (निश्चित)
प्रीमियम भुगतान अवधि	एकल प्रीमियम
अधिकतम पूर्णावधि आयु	70 वर्ष

प्रीमियम भुगतान के क्या विकल्प उपलब्ध है? –

- एकल प्रीमियम

अधिकतम बीमाधन की क्या छूट उपलब्ध है? –

यदि बीमाधन 1 लाख से कम है	- कुछ नही तालिका प्रीमियम पर
यदि बीमाधन 1 लाख एवं अधिक है किन्तु 3 लाख से कम है	- 3% छूट तालिका प्रीमियम पर
यदि बीमाधन 3 लाख एवं अधिक है किन्तु 5 लाख से कम है	- 5% छूट तालिका प्रीमियम पर
यदि बीमाधन 5 लाख एवं अधिक है	- 8% छूट तालिका प्रीमियम पर

क्या पॉलिसी अभ्यर्पित की जा सकती है :-

हाँ, जोखिम तिथि के प्रारम्भ से छः माह पश्चात्।

अभ्यपर्ण मूल्य, विशेष अभ्यपर्ण मूल्य से अधिक देय अथवा गारन्टीड अभ्यपर्ण मूल्य जहाँ :

- गारन्टीड अभ्यपर्ण मूल्य, भुगतान की गई एकल प्रीमियम के 80% के तुल्य, अतिरिक्त प्रीमियम को छोड़कर, यदि कोई है।
- विशेष अभ्यपर्ण मूल्य शुद्ध प्रीमियम रिजर्व के 70% के तुल्य। कंपनी विशेष अभ्यपर्ण मूल्य की गणना का आधार समय - समय पर पुनः विचार कर सकती है।

क्या ऋण सुविधा उपलब्ध है –

हाँ, इस पॉलिसी में ऋण सुविधा उपलब्ध है।

पॉलिसी लाभ –

पूर्णावधि पर - पूर्णावधि पर यदि बीमार्थी जीवित है, बीमाधन देय है।

मृत्यु लाभ - बीमार्थी की मृत्यु पर बीमाधन तत्काल देय है।

आयकर लाभ –

- भविष्य में आयकर लाभ आयकर अधिनियम, 1961 के नियम, जो लागू होंगे, तदानुसार प्रभावी होगा।

मूल योजना के लिये लाभ उदाहरण

बीमार्थी की आयु	35 वर्ष
एकल प्रीमियम***	रू. 31131
पॉलिसी अवधि	10 वर्ष
बीमाधन	60000

पॉलिसी वर्ष	एकल प्रीमियम	गारन्टीड मृत्यु लाभ	गारन्टीड परिपक्वता लाभ
1	31131	60000	0
2	0	60000	0
3	0	60000	0
4	0	60000	0
5	0	60000	0
6	0	60000	0
7	0	60000	0
8	0	60000	0
9	0	60000	0
10	0	60000	60000

***सेवा कर नियमों के अनुसार प्रीमियम पर सेवा कर अतिरिक्त रूप से देय है।

अपवाद :–

आत्महत्या उपबंध –

जोखिम प्रारम्भ होने की तिथि को या उसके बाद किन्तु इस पॉलिसी की तिथि से एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व यदि बीमित व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है (चाहे मस्तिष्क की स्वस्थ अवस्था में या तत्समय अस्वस्थ अवस्था में) तो यह पॉलिसी रद्द हो जायेगी। इस दशा में सिंगल प्रीमियम का 80% (टैक्स एवं अतिरिक्त प्रीमियम छोड़कर) बिना ब्याज के भुगतान किया जायेगा।

फ्रीलुक अवधि –

बीमार्थी को यह विकल्प प्राप्त है कि पॉलिसी बाण्ड के प्राप्त तिथि से 15 दिन के अन्दर यदि वह पॉलिसी की शर्तों तथा अहर्ताओं में कोई परिवर्तन अवलोकन करता है अथवा गलत पाता है तो अस्वीकार /असहमति के कारणों का वर्णन करते हुए पॉलिसी बाण्ड वापस कर सकता है। इस स्थिति में बीमार्थी प्रीमियम राशि से, निरस्तीकरण तिथि पर, अनुपातिक जोखिम वहन प्रीमियम, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क तथा स्टाम्प शुल्क में जो व्यय हुए हैं, उनको घटाकर, धनराशि वापस पाने का अधिकारी है।

वैधानिक चेतावनी –

(1) इस योजना में लाभ गारन्टीड है तथा लाभ उदाहरण में स्पष्ट रूप से "गारन्टीड" चिन्हित किये है।

(2) बीमा अधिनियम 1938 (1938 का 4) की धारा 41 में जो विवरण है उसका उद्धरण बीमा उत्पाद के प्रत्येक प्रस्ताव में होना आवश्यक है - कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी व्यक्ति को नई पॉलिसी लेने, नवीनीकरण करने अथवा चलाने, जिसमें किसी भी प्रकार भारत में जीवन अथवा सम्पत्ति के जोखिम का सम्बन्ध है, कोई प्रलोभन, पॉलिसी की प्रीमियम में छूट, प्रलोभन को स्वीकार करेगा, सिवाय ऐसी छूट जो बीमाकर्ता के प्रकाशित विवरण पुस्तिका एवं तालिका में वर्णित है।